# अपने अधिकारों को जानें, अपनी बात कहें

सितंबर 2023

Independent Mental Health Advocacy (स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य पक्षसमर्थन) (IMHA) आपको अपने अधिकारों को जानने और अपनी बात कहने में मदद कर सकता है। IMHA उन लोगों के लिए एक निःशुल्क और गोपनीय पक्षसमर्थन सेवा है जो:

* अनिवार्य उपचार प्राप्त कर रहे हैं, या
* अनिवार्य उपचार प्राप्त करने के बारे में चिंतित हैं।

IMHA, Victoria Legal Aid द्वारा दी जाने वाली एक सेवा है लेकिन यह कानूनी सेवा नहीं है। IMHA मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से स्वतंत्र है।

## हम आपसे संपर्क करेंगे

1 सितंबर 2023 तक, [Mental Health and Wellbeing Act 2022 (Vic)](https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/mental-health-and-wellbeing-act-2022/002) *(मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 2022) (Vic)* कहता है कि जब आप अनिवार्य उपचार प्राप्त कर रहे/ही हों तो हमें प्रमुख बिंदुओं पर सूचित किया जाएगा। इस दस्तावेज़ के 'IMHA को कब अधिसूचित किया जाएगा?' अनुभाग के बारे में और अधिक जानें।

हम आपसे संपर्क करेंगे, जब तक आप हमें ऐसा न करने के लिए नहीं कहेंगे/गी। जब हम आपसे संपर्क करेंगे, तो हम बताएंगे कि हम क्या करते हैं, और आप तय कर सकते/ती हैं कि आपको हमारी सेवाएँ चाहिए या नहीं। हमें आपसे संपर्क न करने के लिए कहने के लिए इस शीट का 'हमें आपसे संपर्क न करने के लिए कहें' अनुभाग देखें।

आप हमसे संपर्क कर सकते/ती हैं

यदि आप वर्तमान में अनिवार्य उपचार प्राप्त नहीं कर रहे/ही हैं लेकिन अनिवार्य उपचार प्राप्त करने के बारे में चिंतित हैं, तो भी आप IMHA सेवाओं तक पहुंच सकते/ती हैं। आपको सीधे हमसे संपर्क करना होगा क्योंकि हमें सूचित नहीं किया जाएगा। आप हमें
1300 947 820 पर कॉल कर सकते/ती हैं, हमारी वेबसाइट [www.imha.vic.gov.au](http://www.imha.vic.gov.au) पर जा सकते/ती हैं, या contact@imha.vic.gov.au पर एक ईमेल भेज सकते/ती हैं

अनिवार्य उपचार प्राप्त करने के बारे में लोगों के चिंतित होने के सामान्य कारणों में यह महसूस करना शामिल है कि आप अपनी इलाज करने वाली टीम से असहमत नहीं हो सकते हैं, या आपका इलाज करने वाली टीम ने कहा है कि यदि आप कुछ करते नहीं हैं तो आपको अनिवार्य उपचार पर रखा जाएगा।

## IMHA आपका समर्थन कैसे कर सकता है

हम आपका समर्थन कर सकते हैं:

* अपने मूल्यांकन, उपचार, देखभाल और पुनर्प्राप्ति के बारे में जानकारी को समझने में
* अपने मूल्यांकन, उपचार और देखभाल के बारे में निर्णयों को लेने में
* अपने अधिकारों को समझने और प्रयोग करने में
* प्राथमिकताओं का अग्रिम विवरण (एडवांस स्टेटमेंट) बनाने में
* एक नामांकित सहायक व्यक्ति नियुक्त करने में
* एक और मनोचिकित्सक की राय लेने में
* कानूनी सलाह लेने में
* [Mental Health Tribunal](https://www.mht.vic.gov.au/) (मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण) पर आवेदन करने में
* मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा प्रणाली को समझने और उस तक पहुंचने में
* अपनी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं तथा अन्य के लिए अपने निर्णयों, विचारों और प्राथमिकताओं को व्यक्त करने में
* शिकायत करने में।



हम एक दुभाषिए की व्यवस्था कर सकते हैं। आप [Translating and Interpreting Service](https://www.tisnational.gov.au/) (अनुवाद और दुभाषिया सेवा) (TIS) को 131 450 पर कॉल भी कर सकते/ती हैं और हमसे संपर्क करने के लिए कह सकते/ती हैं।

IMHA आपकी सहमति से आपकी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा को आपके विचारों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

आपका/की IMHA अधिवक्ता (एडवोकेट):

* आपके निर्देशानुसार कार्य करेगा/गी
* आपकी सहमति के बिना कार्रवाई नहीं करेगा/गी
* यदि आपकी आयु कम से कम 16 वर्ष है, तो वह इस बात से निर्देशित नहीं होगा/गी कि दूसरे आपके सर्वोत्तम हित के लिए क्या सोच सकते हैं। यदि आपकी उम्र 15 वर्ष या उससे कम है, तो IMHA आपके विचारों को बढ़ावा देगा और आपके परिवार, देखभालकर्ताओं और समर्थकों के साथ काम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके सर्वोत्तम हित सुरक्षित हैं।

## हमें आपसे संपर्क न करने के लिए कहें

आपको अपने बारे में पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हम:

* आपसे संपर्क करने का प्रयास न करें, और
* आपके अनिवार्य उपचार के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त है, उसे हटा दें।
* आपके द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा संभाली जाएगी। हम व्यक्तिगत जानकारी को कैसे संभालते हैं और आपकी गोपनीयता की रक्षा कैसे करते हैं, यह जानने के लिए आप
[www.imha.vic.gov.au/how-we-handle-personal-information](http://www.imha.vic.gov.au/how-we-handle-personal-information) पर जा सकते/ती हैं।

हमें यह बताने के लिए कि हम आपसे संपर्क न करें:

* 03 9093 3701 पर कॉल करें
* opt-out form भरने के लिए [www.imha.vic.gov.au/optout](http://www.imha.vic.gov.au/optout) पर जाएं
* निम्नलिखित फॉर्म को पूरा करें और इसे imhaadmin@imha.vic.gov.au पर भेजें या पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पर भेजें:

Independent Mental Health Advocacy

GPO Box 4380

Melbourne VIC 3001

* निम्नलिखित सहमति विवरण और जानकारी के साथ हमें admin@imha.vic.gov.au पर ईमेल करें।

आप फॉर्म जमा करने में मदद के लिए किसी स्टाफ सदस्य या समर्थक से पूछ सकते/ती हैं।

मैं, अपना पूरा नाम टाइप करें नहीं चाहता/ती कि यदि मुझे अनिवार्य उपचार आदेश पर या किन्हीं अन्य प्रमुख बिंदुओं पर रखा जाता है तो IMHA मुझसे संपर्क करे। मैं समझता/ती हूं कि मेरे अनिवार्य उपचार के बारे में IMHA को भविष्य में मिलने वाली कोई भी जानकारी हटा दी जाएगी।

*जन्म की तारीख*: अपनी जन्म दिनाँक टाइप करें (dd/mm/yyyy)

*हस्ताक्षर:* अपना नाम टाइप करें

*दिनांक:* आज की तारीख़ टाइप करें

राज्यव्यापी UR नंबर (State-wide UR Number) - SWURN: अपना SWURN टाइप करें

*यह एक ऐसा विशिष्ट नंबर है जिसे सार्वजनिक रूप से नामित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने वाले सभी उपभोक्ताओं को दिया जाता है। हम इस नंबर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि हम आपकी सही पहचान कर सकें। यदि आप अपने* SWURN *को नहीं जानते/ती हैं, तो आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य और भलाई सेवा से पूछ सकते/ती हैं, या किससे पूछना है इसकी जानकारी के लिए* IMHA *को कॉल कर सकते/ती हैं।*

*फोन नंबरः* अपना फ़ोन नंबर टाइप करें

*ईमेलः* अपना ईमेल टाइप करें

*पताः* अपना पता टाइप करें

*उपनगर/नगर:* अपना सबर्ब/टाउन टाइप करें

*पोस्टकोड:* अपना पोस्टकोड टाइप करें

**यदि आप बाद में अपना मन बदलते/ती हैं और चाहते/ती हैं कि अनिवार्य उपचार प्राप्त करते समय IMHA आपको संपर्क करे, तो आप यह कर सकते/ती हैं:**

* **1300 947 820** **पर कॉल करें**
* **contact@imha.vic.gov.au** **पर ईमेल करें**
* **हमारी वेबसाइट** [**www.imha.vic.gov.au**](http://www.imha.vic.gov.au) **पर जाएँ**

### IMHA को अधिसूचित कब किया जाएगा?

IMHA को अधिसूचित किया जाएगा यदि:

* आपको एक अस्थायी उपचार आदेश, या उपचार आदेश पर रखा गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आप फोरेंसिक या सुरक्षा रोगी हैं
* आपका संवाद करने का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया गया है
* आपका अस्थायी उपचार आदेश, या उपचार आदेश, समुदाय से आंतरिक रोगी या आंतरिक रोगी से समुदाय तक भिन्न-भिन्न रहा है
* यदि आपका अस्थायी उपचार आदेश, या उपचार आदेश, निरस्त या रद्द कर दिया गया है
* यदि आपकी Mental Health Tribunal की सुनवाई निर्धारित है
* यदि प्रतिबंधात्मक हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपको एकांत में रखा जाता है, या शारीरिक या रासायनिक रूप से रोका जाता है
* यदि आपका ऑर्डर परिवर्तित करके किसी अन्य निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा में उपचार के लिए स्थानांतरित करने के लिए कर दिया है।

यदि आप एक सुरक्षा रोगी हैं, तो IMHA को भी सूचित किया जाएगा यदि:

* आपको एक निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा में स्वीकार किया जाता है, या ले जाया जाता है
* आपको डिस्चार्ज करके वापस जेल भेजा जाता है।

यदि आप फोरेंसिक रोगी हैं, तो IMHA को भी सूचित किया जाएगा, यदि:

* आपको एक निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा में ले जाया जाता है, सिवाय इसके कि यदि [फोरेंसिक लीव पैनल](https://www.health.vic.gov.au/mental-health-services/forensic-leave-panel) परिवहन को मंजूरी देता है या अन्यथा किसी अधिकृत निकाय द्वारा निर्देशित किया जाता है
* यदि आपका/की मनोचिकित्सक या [मुख्य मनोचिकित्सक](https://www.health.vic.gov.au/chief-psychiatrist) आपको किसी अन्य निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा में ले जाने का निर्देश देता/ती है
* [Forensicare](https://www.forensicare.vic.gov.au/) [Victorian Institute of Forensic Mental Health (फोरेंसिक मानसिक स्वास्थ्य का विक्टोरियाई संस्थान)] गहन निगरानी पर्यवेक्षण आदेश के लिए, यदि और जब यह आदेश किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण पर आवेदन करता है।

### IMHA से संपर्क कैसे करें तथा और अधिक कैसे जानें

* वेबसाइट [www.imha.vic.gov.au](http://www.imha.vic.gov.au) पर जाएं या contact@imha.vic.gov.au पर ईमेल भेजें
* IMHA फ़ोन लाइन 1300 947 820पर कॉल करें, जिस पर सप्ताह के सातों दिन (सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक IMHA के अधिवक्ता तैनात रहते हैं।
* अपने अधिकारों के बारे में रिकॉर्डिंग सुनने के लिए IMHA राइट्स लाइन को 1800 959 353 पर कॉल करें।
* IMHA से संपर्क करने में सहायता के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, देखभालकर्ता या अन्य सहायता व्यक्ति से पूछें।
* यदि आप प्रतिक्रिया देना चाहते/ती हैं या IMHA के बारे में शिकायत करना चाहते/ती हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें, या हमारी वेबसाइट के [फीडबैक (प्रतिक्रिया) अनुभाग](https://www.imha.vic.gov.au/feedback) पर जाएं।
* 131 450 पर फ़ोन करके निःशुल्क दुभाषिये तक पहुँचें, और फ़िर उनसे 1300 947 820 पर हमें फ़ोन करने के लिए कहें।.

